किया गया तथा वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689 व आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 258 का अवलोकन किया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आयी कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के बाद तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तहसीलदार उक्त न्यायिक नजीरों अनुसार अपने शक्तियों को उपप्रत्यायोजित नहीं कर सकते। तहसीलदार द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वयं तैयार नहीं कर अन्य द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये तैयार करवाया गया है तथा सिर्फ वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का ही विभाजन किया गया है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। अतएवं हम अंतिम डिक्री को पेश शुदा न्यायिक नजीरों के आलोक में त्रुटि पूर्ण पाते हैं।

तद्नुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–06–2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं सभी पक्षकारों को सूचना देकर एवं मौके पर स्वयं उपस्थित रहकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स सभी खातेदारों के मध्य नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें तथा अधिनस्थ न्यायालय सभी पक्षकारों को सुनने के बाद यदि कोई आपत्तियां है तो उनका निस्तारण करने के बाद प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 12–02–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

किये गये। प्रतिवादी संख्या 4 दिनांक 19–08–2015 को उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19–08–2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 16–06–2016 अंतिम डिक्री जारी की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16–06–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–08–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक औपचारिक पक्षकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट तथा राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़े के संबंध में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है तथा सभी काश्तकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नहीं कर केवल एक सहखातेदार वादिया पुष्पादेवी को 16 बिस्वा 17 बिश्वांसी भूमि सड़क किनारे दे दी। बकाया जमीन का बंटवाड़ा नहीं कर सभी के पास मिलाकर 4 बीघा 4 बिस्वा 3 बिस्वांसी जमीन रखने का आदेश दिया, जो नियम 18 से 21 के विपरीत होने से त्रुटि पूर्ण है। मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर अपीलान्ट के उजरात पर मनन

13. श्रीमती पुष्पा पिता नोजीराम जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

14. श्रीमती उलासी पिता नोजीराम जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

15. श्रीमती मिठ्ठू पिता नोजीराम जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

16. श्रीमती नारूबाई बेवा नोजीराम जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

17. श्रीलाल पिता खेमा जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

18. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 16.06.2016 प्र.सं. 69/2014

---::---

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 18

---::---

निर्णय **दिनांक 11–12–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक विभाजन का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पसून्द में आराजी नंबर 1409 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 19 सहखातेदार हैं, जिनका हिस्सा राजस्व रेकार्ड में वर्णित अनुसार है। प्रतिवादी संख्या 20 भूमिधारी है। भूमि सहखातेदारी में होने से उपयोग उपभोग में बाधा आती है। अतएवं भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 से 19 (अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 5 से 7) के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26 / 2016 (राजसमन्द डिकी)

1. पन्नालाल पिता भूरा जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. देवीलाल पिता भूरा जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती धापू बेवा भूरा जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी किशनलाल जी सालवी, निवासी कबीरा कोटेज कबूतरखाने के पास राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. गणेश पिता वक्तावर जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. मोहन पिता वक्तावर जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. टेका पिता गोकल जी गाडरी, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. देवा पिता गांगा जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. नारायण पिता कजोड जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती केसी पिता कजोड जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती मथुराबाई पिता कजोड जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती नेनीबाई पिता कजोड जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
10. भैरूलाल पिता लकमा जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
11. किशनलाल पिता नोजीराम जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
12. भीमराज पिता नोजीराम जी गुर्जर, निवासी कोरना का वाडा, पसून्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)